संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर

–:: आदेश ::–

रायपुर, दिनांक :   /   /2020

क्रमांक एफ: 01–26/2019/विज्ञप्त/   :::::: संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम–1990 के नियम–4 के उपबंध–2, भाग–ख के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1–10/2013/सत्रह/एक दिनांक 01.04.2013 प्रावधान के तहत निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–06 में दर्शायी गई तिथि से निहित शर्तो के अधीन **चिकित्सा अधिकारी** सेवा संवर्ग में देय **"प्रवर श्रेणी"** वेतनमान रूपयें 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600/– प्रदान करता है :–

सरल क्र.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति दिनांक	वर्तमान वेतन देय दिनांक	"प्रवर श्रेणी" वेतनमान देय दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. श्रीमती नोमिता सिंह	20.05.1981	23-09-06	01.01.2013	01.01.2019
2	डॉ. वन्दना कुमारी चौधरी	08.02.1971	24-06-06	01.01.2013	01.01.2019

2/ उक्त वेतनमान स्वीकृत किये गये चिकित्सा अधिकारियों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के परिपत्र क्रमांक 642/661/03/वि/नि/चार, दिनांक 21.08.2003 एवं समय–समय पर जारी निर्देश/शर्तो अनुसार छः वर्ष की नियमित रूप से की गई सेवा की गणना करते हुये की जाये। यदि सेवा की कोई कालावधि डाईजनॉन की गई है तो उक्त डाईजनॉन की कालावधि छः वर्ष की नियमित सेवा की कालावधि में शामिल नहीं की जावेगी।

3/ छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1–10/2013/सत्रह/एक, रायपुर, दिनांक 01.04.2013 के अनुसार चिकित्सा अधिकारियोंको दिनांक 01 जनवरी 2013 से चार स्तरीय वेतनमान की स्वीकृति अनुसार प्रदान किए जाने के आदेश जारी किए गये हैं। यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 89/एफ 1002164/वित्त/नियम/चार/2013, दिनांक 13.03.2013 द्वारा दी गई सहमति से जारी की गई है।

4/ यदि किसी चिकित्सा अधिकारियों को उक्त प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने की तिथि के पूर्व की सेवा के किसी कालावधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/राज्य शासन स्तर पर किया जाना शेष हो तो उक्त वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति की कालावधि के निराकरण के पश्चात् तथा प्रकरण में लिये गये निर्णय के अधीन देय होगी।

आओ हम सब मिलकर 2 गज की दूरी अपनाएं, मास्क से नाता जोड़ें

5/ यदि उक्त प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सकों में से किसी के विरूद्ध विभागीय जांच लंबित है, तो प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन का निर्धारण विभागीय जांच के निराकरण के बाद और विभागीय जांच के अंतिम आदेश के अधीन किया जावेगा।

6/ यदि कोई चिकित्सा अधिकारी प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका हो, त्याग पत्र दिया गया हो अथवा नियमित पदोन्नति हो चुकी हो तो ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को उक्त प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।

7/ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों में से जो वर्तमान में नियमित उच्च पद अथवा समतुल्य पद अथवा वरिष्ठ पद पर कार्यरत है, उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अन्य समतुल्य अथवा वरिष्ठ पद पर नियुक्ति के दिनांक तक ही प्राप्त होगा और अन्य वरिष्ठ पद पर नियुक्ति के दिनांक से पदोन्नत पद के वेतनमान में मूलभूत नियम के अनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा।

8/ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों में से यदि किसी चिकित्सा अधिकारी को वरिष्ठ पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गई हो (वर्तमान में नियमित हो गये हो अथवा न हुये हो) तो उन्हें चिकित्सा अधिकारी के प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ निम्नांकित अनुबंध संपादित करने के बाद ही दिया जाये:–

(क) यदि तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि प्रवर श्रेणी वेतनमान की स्वीकृति के तिथि से बाद की है और यदि उसे तदर्थ नियुक्ति के तिथि से नियमित नियुक्ति मान्य की जाती है तो प्रवर श्रेणी वेतनमान का आदेश निरस्त माना जाकर प्रवर श्रेणी वेतनमान के कारण भुगतान की गई राशि नियमानुसार शासकीय कोषालय में जमा किया जाना होगा।

(ख) यदि तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि प्रवर श्रेणी वेतनमान की स्वीकृति के बाद की है और यदि उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से नियमित नियुक्ति की जाती है तो प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ तदर्थ नियुक्ति की तिथि तक ही उपरोक्त सब पैरा–8(क) के अनुसार देय होगा और प्रवर श्रेणी वेतनमान के कारण भुगतान की गई राशि नियमानुसार कोषालय में जमा किया जाना होगा।

9/ छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक 88/ एफ–2015–04–02007/ब–4/चार, दिनांक 27.05.2020, वित्त निर्देश क्रमांक 12/2020 के कण्डिका 2.2 अनुसार पदोन्नति/क्रमोन्नति के फलस्वरूप देय एरियस राशि के भुगतान को वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलंबित रखा जाए।

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

मास्क पहनें, 2 गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं

पृ0क्रमांक / एफ : 01–26 / 2019 / विज्ञप्त / 1696 रायपुर, दिनांक : 06/10 /2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर।
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर कृपया आदेश की प्रति संबधितों को तामिल कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
6. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग .... छत्तीसगढ़।
9. कलेक्टर .... छत्तीसगढ़।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला .... छत्तीसगढ़।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी .... छत्तीसगढ़।
12. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, ...छत्तीसगढ़।
13. संबंधित डॉ...
14. श्री सी.सी. संतोष, कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर,जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर आदेश विभागीय वेबसाईड *www.cghealth.nic.in* पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
15. आदेश फाईल।

02.10.

आयुक्त

स्वास्थ्य सेवायें

छत्तीसगढ़

29/26

HMIS